न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 157/2018 रसद

मैसर्स देवनारायण मीना, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा राज0 (फौत)

1.1 निरमा मीना पत्नि स्व. देवनारायण मीना

1.2 दिव्यांशी उर्फ निशा पुत्री देवनारायण मीना नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता निरमा

1.3 मानवी उर्फ नेहा पुत्री देवनारायण मीना नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता निरमा

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम भाण्डारेज तहसील दौसा जिला दौसा राज0

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी दौसा दिनांक 9.12.2015 बाबत निरस्ती प्राधिकार पत्र अपीलांट मु0नं0 70/2015

उपस्थित–1. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:12.07.2023

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.12.2015 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पों0 से उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु नियमानुसार प्राधिकार पत्र ले रखा है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 449/2001 है। उससे अपीलांट को रेस्पों0 द्वारा ग्राम पंचायत भाण्डारेज तहसील दौसा के उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु एफपीएस डीलर नियुक्त कर रखा है। उक्त प्राधिकार पत्र के तहत अपीलांट नियमानुसार अपने वितरण क्षेत्र में रेस्पों. द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को वितरण करता रहा है। अपीलांट की माता का स्वास्थ्य लगातार खराब चलने के कारण अपीलांट अपनी माता के इलाज में व्यस्त रहा जिसके कारण अपीलांट उचित मूल्य सामग्री का वितरण समय पर नहीं कर पाया जिस पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित किया गया। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियमन आदेश 1976 की शर्त सं0 11 का दोषी मानते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार की जमा शुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए जारी प्राधिकार पत्र निरस्त फरमा दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बिना प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट तलब किये बगैर ही व बिना कोई मौका रिपोर्ट व

.....निरंतर 2 पर

जिला कलक्टर,दौसा

साक्ष्य के बिना अपीलांट का प्राधिकार निरस्त कर कानूनी भूल की है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा ना तो प्रार्थी के द्वारा जमा करवाया गया पूर्व का रिकार्ड तलब किया जबकि प्रार्थी ने नोटिस के जवाब में यह अंकित किया था कि गत मार्च तक के रजिस्टर जिला रसद कार्यालय में जमा करा दिये थे, ऐसी स्थिति में बिना रजिस्टर रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने प्रार्थी को दिये नोटिस में प्रवर्तन अधिकारी महवा के द्वारा दिनांक 29.4.2015 को प्रार्थी की दुकान का निरीक्षण कर रिपोर्ट दिया जाना बताया गया है जबकि जिला रसद अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 9.12.2015 में प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 29.4.2015 को प्रार्थी की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है। जिला रसद अधिकारी प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही से स्वयं ही कन्फर्म नहीं है कि अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा किया गया है, अथवा प्रवर्तन अधिकारी महवा के द्वारा। ऐसी दशा में प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट भी संदिग्ध हो जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो प्रवर्तन अधिकारी दौसा के बयान लिया ना ही प्रवर्तन अधिकारी महवा के। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट पेश करना बताया है वह प्रदर्शित नहीं कराई गई है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा आनन फानन में बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपने आदेश में अपीलांट का लंबे समय से राशन सामग्री का उठाव/वितरण का कार्य संपादित नहीं किया जाना बताकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जबकि अपीलांट द्वारा जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि अपीलांट की माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है जिससे अपीलांट व्यस्त रहने के कारण समय पर राशन सामग्री का वितरण नही कर सका परन्तु अपीलांट ने उपभोक्ताओं को राशन सामग्री देर सवेर उपलब्ध कराई गई है जिसमें अपीलांट को कोई बदयान्ति नहीं रही है। जिला रसद अधिकारी ने प्रवर्तन निरीक्षक से किसी प्रकार के स्टॉक व वितरण रजिस्टर की भी जांच नहीं करवाई गई एवं मनमाने तरीके से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 9.12.2015 को प्राधिकार पत्र निलंबित करने के बाद प्रार्थी को कोई नोटिस नही दिया गया ना ही पत्रावली पर कोई नोटिस देना दर्शा रखा है। अपीलांट अपनी माता की तबीयत खराब होने से उसके इलाज में व्यस्त रहा एवं लंबी बीमारी के बाद अपीलांट की माता का दिनांक 15.7.2018 को देहान्त हो गया। तत्पश्चात अपीलांट की पत्नि का भी स्वास्थ्य खराब हो गया जिसमें अपीलांट व्यस्त हो गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा कोई तारीख पेशी की सूचना नहीं दी गई ना ही इस आशय की सूचना का पत्र अपीलांट को जारी किया गया। उक्त निर्णय अपीलांट की गैर मौजूदगी में एकतरफा में पारित किया गया है जिससे अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी तथा अपीलांट का नाम आज भी एफपीएस डीलर के रूप में चला आ रहा है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक 11.10.2018 को प्राप्त होने पर जानकारी हुई। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट का भी दिनांक 8.11.2019 को देहान्त हो गया है। जिसके वारिसान की सूचना पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर

.....निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2015 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे। साथ ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल होने तक अपीलांट को एक–एक दिन हानि हुई है उस बाबत 2000/–रू0 प्रतिदिन के हिसाब से हर्जाना क्षतिपूर्ति राशि अपीलांट को दिलवाई जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में दलील दी कि प्रवर्तन अधिकारी दौसा के द्वारा दिनांक 29.4.2015 को जिला रसद कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम पंचायत भांडारेज के उचित मूल्य दुकानदार श्री देवनारायण मीना की उचित मूल्य की दुकान उपभोक्ता पखवाडा होने के बावजूद दुकान बंद पाई गई। उचित मूल्य दुकान के आसपास जानकारी करने पर दुकान तीन माह से बंद पाई गई। उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जा रहा है। मौके पर स्टॉक प्रदर्शन व मूल्य सूची का अंकन नहीं पाया गया। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपीलांट का प्राधिकार पत्र 90 दिवस के लिए निलंबित किया गया। प्राधिकार पत्र निलंबन के पश्चात अपीलांट को जिला रसद अधिकारी दौसा के द्वारा दिनांक 4.5.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलांट ने दिनांक 15.9.2015 को कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। अपीलांट ने रिकार्ड ऑफिस में जमा करा दिया जाना बताया। परन्तु कार्यालय में रिकार्ड जमा नहीं होना पाया गया। अपीलांट को रिकार्ड पेश करने हेतु बार–2 अवसर देने के उपरांत रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट के द्वारा अपनी माता की बीमारी से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। प्रवर्तन अधिकारी दौसा ने अवगत कराया कि उचित मूल्य दुकानदार की छवि ग्राम पंचायत में खराब है। दुकान अधिकांश समय में बंद पाई जाती है। डीलर द्वारा रसद सामग्री के वितरण कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है। जिला रसद अधिकारी दौसा ने रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु बार–2 अवसर दिये जाने के उपरांत भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 09.12.2015 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधि अनुसार पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है जिला रसद अधिकारी दौसा एवं प्रवर्तन अधिकारी दौसा के द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का दिनांक 29.4.2015 को निरीक्षण किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन रसद कार्यालय में प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 29.4.2015 को निलंबित किया जाकर अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर दिनांक 15.9.2015 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया जिसमें अवगत कराया कि अपीलांट की माता दिनांक 29.4.2015 को अस्पताल में भर्ती थी जिस कारण उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण नहीं कराया जा सका। मूल्य सूची एवं स्टॉक की सूचना नोटिस बोर्ड पर लगाकर गया था, किन्तु स्कूल के बालकों ने उसको हटा दिया। साथ ही मार्च तक के रजिस्टर रसद कार्यालय में जमा करा दिये थे। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलांट को कारण बताओ नोटिस

.....निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

भी जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के उपरांत अपीलांट द्वारा जवाब दिये जाने के पश्चात जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 09.12.2015 को प्राधिकार पत्र की जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट के द्वारा अपने अपील मीमों में स्वयं अंकित किया है कि उपभोक्ताओं को देर सवेर राशन सामग्री का वितरण किया है। साथ ही जिन उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकान तीन माह से बंद होने का कथन किया है, उनके बयान पत्रावली में संलग्न नहीं है। अपीलांट द्वारा राशन सामग्री के दुरूपयोग अथवा गबन का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हम अपीलांट के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना उचित समझते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.12.2015 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट देवनारायण के निधन होने से उनके स्थान पर उनकी पत्नि अथवा पुत्री को उचित मूल्य दुकानदार हेतु यदि अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता रखती हो तो उचित मूल्य दुकानदार के रूप में नियुक्ति प्रदान की जावे। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 12 जुलाई, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा